न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी– श्री महावीर प्रसाद नायक, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
69 / 2019 / प्रार्थना पत्र	23.07.2019	05.09.2019

उनवान

श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह खुद काश्त ना0बा0 सरपरस्त पुजारी दुर्गाशंकर उपाध्याय पिता भूरालाल ब्राम्हण नि0 कनेछनकलां त0 फूलियाकलां
– प्रार्थी

बनाम

1– गोपाल पिता धन्ना माली नि0 कनेछनकलां तह0 फूलियाकलां
2– देवकरण पिता लादू माली नि0 कनेछनकलां तह0 फूलियाकलां
3– रामस्वरूप पिता घीसू माली नि0 कनेछनकलां तह0 फूलियाकलां
4– सोहन पिता घीसू माली नि0 कनेछनकलां तह0 फूलियाकलां
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्रीमती मदीना बानू : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1306 आ0न0 3833 रकबा 0.24 है0, कुल किता 01 रकबा 0.24 है0 भूमि स्थित है। पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 व 4 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थी की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्व दिनांक 05.09.2019 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता की एक तरफा बहस करनी चाही जिससे उनकी बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1306 आ0न0 3833 रकबा 0.24 है0, कुल किता 01 रकबा 0.24 है0 का प्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण 1 लगायत 4 के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार हल्का कनेछनकलां तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थी के खातेदारी की जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 के खाता संख्या 1306 आ0न0 3833 रकबा 0.24 है0, कुल किता 01 रकबा 0.24 है0 का प्रार्थी के खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 100/– (अक्षरे एक सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलां जिला–भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :— तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलाँ जिला—भीलवाड़ा